उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः–1154 / VI(1) / 2018–03(05) / 2015
देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविधि

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2001) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018" को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– (1) / VI(1) / 2018–03(05) / 2015, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, हरिद्वार को उक्त अधिसूचना एवं संलग्न "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018" की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया साधारण गजट में प्रकाशनार्थ अधिसूचना तथा संलग्न नियमावली की 300 मुद्रित प्रतियां तैयार कराकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

संख्याः– 1154 (2) / VI(1) / 2018–03(05) / 2015, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
5. अपर सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या–857/VI(1)/2018–03(05)/2015
देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2018

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2001) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने एवं स्वरोजगारोन्मुखी योजना को कियान्वित करने के लिये दी जाने वाली राजकीय सहायता को नियंत्रित करने तथा इस सहायता के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं को संचालित किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू होगी।

परिभाषायें

2. जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(क) "गृह आवास (होम स्टे)" से ऐसी आवासीय इकाई अभिप्रेत है जो पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा जिसमें भवन स्वामी अथवा भवन के पट्टे पर होने की दशा में पट्टेदार स्वयं परिवार सहित निवास करता हो;

(ख) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" **से** उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "भवन स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय अपने स्वयं के अथवा पट्टे के भवन जो कि (होम स्टे) हेतु प्रस्तावित है, में परिवार सहित निवास करता हो;

(घ) "राज्य" से उत्तराखण्ड़ राज्य अभिप्रेत है;

(ड.) "योजना" से दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना अभिप्रेत है;

(च) "समिति" से इस नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत गठित चयन/कियान्वयन/अनुश्रवण समिति अभिप्रेत है;

(छ) "आवेदक" से ऐसा भवन स्वामी अभिप्रेत है जो अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों/अतिथियों के लिए उपलब्ध कराने का इच्छुक है एवं इस नियमावली के अन्तर्गत भवन के पंजीकरण हेतु परिषद में आवेदन करता है।

(ज) "पंजीकरण" से उत्तराखण्ड़ गृह आवास (होम–स्टे) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत पंजीकरण किया जाना अभिप्रेत है।

गृह आवास (होम–स्टे) हेतु आवश्यक शर्तें

3. किसी भवन को गृह आवास (होम स्टे) के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि–

(एक) भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो;

(दो) भवन स्वामी अपने परिवार सहित भवन में निवास करता हो;

(तीन) अतिथियों के खान–पान की व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा की जाये;

(चार) गृह आवास (होम–स्टे) में अतिथियों के लिए न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की की गयी हो;

(छः) गृह आवास (होम–स्टे) का पंजीकरण किया गया हो।

रियायतें/छूट (Exemptions)

4. (1) गृह आवास (होम–स्टे) से प्राप्त आय पर गृह आवास के रूप में पंजीकरण के पश्चात् प्रथम तीन वर्षों तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर की धनराशि की विभाग द्वारा अदायगी/प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2) विद्युत/जल/भवन कर आदि जैसे शुल्क/कर को सम्बंधित विभागों द्वारा अव्यवसायिक दरों पर वसूल किया जा सकेगा।

(3) गृह आवास (होम–स्टे) स्थापित किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

राजकीय सहायता दिये जाने हेतु पात्रता एवं प्रोत्साहन व लाभ

5. गृह आवास (होम–स्टे) स्थापित किये जाने हेतु राजकीय सहायता (अनुदान) भी दी जायेगी, जिसके लिये निम्न प्रकार से नियम/शर्तों का निर्धारण किया जायेगा:–

(1) **निधि का सृजनः**–पर्यटन विभाग के आय–व्ययक में प्रत्येक वर्ष इस योजना हेतु एकमुश्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा जिसका उपयोग चयन समिति द्वारा राज्य में होम स्टे विकसित करने के लिये अनुमोदित किया गया हो। राजकीय सहायता की धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून की अधिकारिता में रखी जायेगी।

(2) **पात्रताः**– इस योजना के अधीन राजकीय सहायता (अनुदान) निम्नलिखित पात्रता रखने वाले व्यक्ति को स्वीकृत की जायेगी:–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जो, उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी है;

(ख) भवन स्वामी स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम–स्टे में निवास करता हो;

(ग) ऐसा व्यक्ति गृह आवास (होम स्ट) के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी हो;

(घ) व्यक्ति किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो;

(ड.) रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय–समय पर शासन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगो आदि को दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा;

(च) राजकीय प्रोत्साहन राशि एवं लाभ प्राप्त करने हेतु नये गृह आवास (होम–स्टे) विकसित करने के अतिरिक्त पुराने भवनों की आन्तरिक साज–सज्जा, उनका विस्तार/नवीनीकरण/सुधार एवं शौचालयों के नवनिर्माण या उच्चीकरण आदि के लिये भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा। पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

राजकीय सहायता की धनराशि

6. राजकीय सहायता की धनराशि मूल सब्सिडी (capital subsidy) एवं ब्याज पर सब्सिडी (interest subsidy) का संयोजन होंगी। इसमें पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या रू0 7.50 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम पांच वर्षो में ऋण के सापेक्ष देय व्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी, परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 33 प्रतिशत या रू0 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम पांच वर्षो में ऋण के सापेक्ष देय व्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित **"सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015"** के अन्तर्गत श्रेणी–ए, बी, बी+ एवं सी को इस योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं श्रेणी–डी को मैदानी क्षेत्र माना जायेगा।

राजकीय सहायता दी जाने की अन्य शर्ते

7. (1) राजकीय सहायता की मूल सब्सिडी का भुगतान उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा एक मुश्त राशि के रूप में तथा ब्याज सब्सिडी का भुगतान वार्षिक आधार पर योजना पूर्ण होने पर सम्बन्धित बैंक शाखा, जहां से आवेदक द्वारा ऋण लिया गया है, को यथासम्भव एक माह के भीतर सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित शाखा बैंक प्रबन्धक अथवा उनका प्रतिनिधि, जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।

(2) पूंजी संकर्म के अन्तर्गत केवल अनावर्तक प्रकार के व्यय की मदें होगी। राजकीय सहायता की प्राप्ति के 10 वर्ष के भीतर, इस प्रकार सृजित

आस्तियों का न तो निस्तारण किया जायेगा और न ही उसका उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिये राजकीय सहायता दी गयी है से, भिन्न किसी योजना के लिये किया जायगा। इस प्रकार निर्मित भवन या भवन की वर्तमान संरचना में किये गये विस्तार, जिस पर राजकीय सहायता प्रदान की गयी है, के सम्बन्ध में निजी उद्यमकर्ता, गठित समिति द्वारा नियत किराये पर पर्यटकों को ऐसे भवनों में, सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये बाध्य होगा।

(3) सम्बन्धित बैंक की शाखा द्वारा बैंक की प्रतिभूति आदि के सम्बन्ध में पूंजी निवेश सम्बन्धी बैंक द्वारा ली जाने वाली मार्जिन मनी, 12.5 प्रतिशत ली जायेगी। इसके अतिरिक्त समिति बैंक की शाखा की प्रतिभूति आदि के सम्बन्ध में सामान्य उपबन्धों के अधीन की गयी सिफारिश पर ऋण देने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी। बैंक की विनिश्चय की सूचना सामान्यतः आवेदक को सिफारिश किये गये आवेदन पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर दे दी जायेगी और उसकी सूचना क्षेत्रीय/जिला पर्यटक अधिकारी को भी भेज दी जायेगी।

(4) इस योजना के कियान्वयन का मामला जिलाधिकारी और बैंकों के बीच मासिक बैठक में कार्य सूची/परिचर्चा की एक मद होगा, जिसमें विलम्ब के कारणों के साथ–साथ विचाराधीन मामलों पर और उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिये विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में त्रैमासिक विवरणी जिले के प्रमुख (लीड) बैंक अधिकारी द्वारा सम्बद्ध जिलाधिकारी और क्षेत्रीय/जिला पर्यटक अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

चयन समिति की संरचना

8. उद्यमियों के चयन एवं योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/कियान्वयन/अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी:–

(एक) जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(दो) मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
(तीन) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य
(चार) जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक	–	सदस्य
(पांच) नाबार्ड का प्रतिनिधि	–	सदस्य
(छः) जिला पर्यटन विकास अधिकारी	–	सदस्य सचिव

यह समिति जिले में आवेदकों के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का कियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह

समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति के सम्बंध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय को अवगत करायेगी। जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हें उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्/शासन को संदर्भित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्रविशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी, नगरपालिका आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

चयन प्रकिया

9. लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त, पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात होगा। जांचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों के आवेदन पत्रों के आधार पर, चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से या विभागीय वेब–साईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा, जिसे भरने के पश्चात् भवन स्वामी सम्बन्धित जिले के क्षेत्रीय/जिला पर्यटन कार्यालय में जमा करेगा।

समिति के कृत्यः–

10. (1) चयन समिति, प्रत्येक योजना का परीक्षण करेगी और साधारण बहुमत से राजकीय सहायता को स्वीकृत करेगी एवं उसकी की सूचना सम्बद्ध बैंकों को देगी। पर्यटन समिति के सदस्य/सचिव द्वारा विनिश्चय की सूचना सम्बन्धित उद्यमी को दी जायेगी।

(2) समिति के अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर, योजना की सार्थकता एवं उपादेयता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छःमाही आधार पर प्रत्येक लाभार्थी/उद्यमी की परियोजना का भौतिक सत्यापन, जिसमें वाणिज्यिक सफलता का मूल्यांकन भी सम्मिलित है, किया जायेगा तथा दुरूपयोग/दुर्विनियोग की दशा में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग

11. इस नियमावली के अधीन बनायी गयी प्रत्येक योजना पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जायेगी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून द्वारा योजना हेतु विभिन्न वाणिज्यक संस्थाओं, मण्डलीय नियमों, प्रशिक्षणदात्री संस्थाओं के मध्य नोडल एजेन्सी के रूप में आवश्यक समन्वय किया जायेगा,साथ ही योजना की गुणवत्ता, उपादेयता, परिचालन, परिपुष्टता एवं आवश्यक अनुश्रवणात्मक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेगी। उद्यमी की योजना हेतु अन्य किसी विभाग यथा वन, पर्यावरण, ऊर्जा आदि से किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्कता होने पर उसको उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

गृह आवास (होम–स्टे) का समूह (Cluster) के रूप में विकास

12. (1) किसी भी गांव में 6 या उससे अधिक गृह आवास (होम–स्टे) स्थापित किये जाने पर उन्हें समूह (Cluster) माना जायेगा। ऐसे समूह (Cluster) के चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी। सर्वप्रथम जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के आस–पास ही समूह(Cluster) चिन्हित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(2) समूह (Cluster) में जो गृह आवास (होम–स्टे) विकसित होंगे उन ग्रामों में गृह आवास (होम–स्टे) पर्यटन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधा कार्य भी कराये जायेंगे।

फैसेलिटेशन एवं मार्केटिंग

13. (1) विभाग द्वारा पंजीकृत गृह आवास (होम–स्टे) के लिये पृथक से पोर्टल/वेब–साईट तथा एप विकसित किया जायेगा, जिसमें गृह आवास (होम–स्टे) से सम्बन्धित समस्त जानकारियां विद्यमान होंगी।

(2) ऑन–लाईन एवं ऑफलाईन व्यवसायिक मार्केटिंग की सुविधा भी निःशुल्क गृह आवास (होम–स्टे) मालिकों को प्रदान की जायेगी।

(3) गृह आवास (होम–स्टे) के फैडरेशन बनवाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा होम–स्टे के प्रचार–प्रसार हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जिन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्टस् में प्रतिभाग किया जाता है, में निःशुल्क प्रतिभाग किये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) पर्यटकों की सुविधा हेतु गृह आवास (होम–स्टे) के सम्बंध में की रेटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे किसी गृह आवास (होम–स्टे) के विषय में पर्यटकों को उसके स्तर की जानकारी के साथ–साथ गृह आवास (होम–स्टे) मालिकों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी।

(5) गृह आवास (होम–स्टे) संचालकों को समय–समय पर आतिथ्य सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होगी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य विभागों के स्तर से प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण के साथ विकसित की जायेगी।

ऋण का भुगतान

14. प्रमुख बैंक/वित्तीय संस्था, राजकीय सहायता का अनुमोदन किये जाने सम्बन्धी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का आदेश प्राप्त होने पर, ऐसी प्रकिया के अनुसार ऋण देंगे जैसा बैंक द्वारा निर्धारित किया जायें।

बैंक ऋण की अदायगी

15. (1) उद्यमी को दिये गये ऋण की अदायगी/अधिस्थगन अवधि या प्रारम्भिक अवधि का निर्धारण सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जायेगा।

(2) ऋण के दुरूपयोग अथवा वापसी की अवधि की आधी अवधि से पूर्व ऋण की वापसी पर ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा तथा इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जा सकेगी, इसके अतिरिक्त ऋण वसूली के लिये "**उत्तर प्रदेश पब्लिक मनी (रिकवरी ऑफ डयूज) एक्ट,**

1965" (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

लेखा परीक्षा

16. इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के स्तर से संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। नियमावली के अंतर्गत किसी योजना की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा की जायेगी। राजकीय सहायता के भुगतान की स्वीकृति के समस्त आदेशों की एक प्रति महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, पर्यटन अनुभाग और वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग को पृष्ठांकित की जायेगी।

प्रकीर्ण

17. (1) पर्यटन निदेशालय व उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद के समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जैसा कि अपेक्षित हो, सहयोग प्रदान करेंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद इस नियमावली के अंतर्गत किसी योजना के निष्पादन/क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) इस नियमावली के अंतर्गत किसी योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई स्पष्टीकरण या सूचना अपेक्षित हो तो पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, का विनिश्चय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

"दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना" के अन्तर्गत ऋण/राज सहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित

आवेदक का फोटो

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

मैं/हम.....पुत्रश्री.....निवासी.....

तहसील.....डाकघर.....जिला..... उत्तराखण्ड में **(जो कि नगर निगम क्षेत्र की सीमा से बाहर है)** "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना" के अन्तर्गत होम-स्टे निर्माण/ विकसित करने हेतु रू0.....शब्दों में..... धनराशि स्वीकृति हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं तथा इस संदर्भ में वांछित आवश्यक सूचना निम्न प्रकार से आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैः-

1-आवेदक का नाम .....

2-आयु(जन्मतिथि सहित) .....

3-योजना क्रियान्वयन का स्थल व पता.....

4-योजना ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्तावित है या शहरी क्षेत्र में .....

5--क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ .....

अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,

(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा

प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।

6- क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, ...

(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7-योजना के लिये भवन/भूमि उपलब्धता का विवरणः-

(क)भूमि का क्षेत्रफल .....

(ख)भूमि/भवन के स्वामित्व का प्रमाण .....

पत्र जो स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो ।

8-योजना का नक्शा .....

9-योजना का आगणन .....

(क)योजना की अनुमानित लागत.....

(ख)आवेदक का अंशदान .....

(ग)वांछित ऋण राशि .....

10-योजना हेतु कुल अनुमानित धनराशि .....

की आवश्यकता है ।

11-बैंक व शाखा का नाम जहाँ से ऋण .....

लिया जाना प्रस्तावित है ।

12-अन्य विवरण यदि कोई हों तो पुष्टि .....

के आधार पर इगिंत किया जाय ।

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली 2018 हेतु गठित समस्त नियम एवं निर्देशों का भली भान्ति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम उक्त सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे । उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना वास्तव में मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं । मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूँ/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पायी जाती है तो "**दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना**" के अन्तर्गत होम-स्टे निर्माण/ विकसित करने हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि उपादान की राशि सहित की वसूली मुझसे कर ली जाय । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(आवेदक के हस्ताक्षर/नाम)

विशेष ध्यानाकर्षणः-

आवेदक आवेदन पत्र को दो प्रतियों में भरकर निम्नलिखित संलग्न को (सत्यापित प्रतिलिपि) सहित सम्बन्धित जनपद के पर्यटन कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में जमा करायेः-

1- जन्मतिथि /आयु प्रमाण पत्र

2- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

3- अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र(यदि लागू हो) ।

4- उत्तराखण्ड के मूल/स्थाई निवास होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।

5- भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः–3216/VI(1)/2018–03(05)/2015 T.C
देहरादूनः दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2018" को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– (1)/VI(1)/2018–03(05)/2015 T.C तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, हरिद्वार को "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2018" की अधिसूचना एवं नियमावली की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया साधारण गजट में प्रकाशनार्थ अधिसूचना तथा संलग्न नियमावली की 300 मुद्रित प्रतियां तैयार कराकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार सिंह)
अनुसचिव।

संख्याः–3216 (2)/VI(1)/2018–03(05)/2015 T.C, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
6. अपर सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

(अतुल कुमार सिंह)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः–3213/VI(1)/2018–03(05)/2015 टी0सी0
देहरादूनः दिनांक18 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 है।
(2) यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली 2018 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 3 में उपनियम (छः) को निम्नवत अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :
"(छः) नवीन भवन निर्माण अथवा विस्तारीकरण हेतु बैंक ऋण प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाणित भवन नक्शे की आवश्यकता होगी।"

नियम 4 का संशोधन

3. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उप नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गए उप नियम को रख दिया जायेगा, अर्थात :**

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(3)गृह आवास (होम स्टे) स्थापित किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।	4.(3)गृह आवास (होम स्टे) स्थापित किये जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता होगी।

नियम 14 का संशोधन

4. **मूल नियमावली में नियम 14 में निम्नवत परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :**
"परन्तु यह कि गृह आवास (होम स्टे) योजना के सापेक्ष लिया जाने वाला बैंक ऋण व्यवसायिक ऋण की श्रेणी में आयेगा।"

टिप्पणीः मूल नियमावली के प्रस्तावना में "धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क)" शब्द, कोष्ठक और अंको के स्थान पर "धारा 20 की उपधारा (1) शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या- 1877 /VI(1)/2019-03(05)/2015 टी0सी0
देहरादून: दिनांक 06 नवम्बर,2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम,2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष,2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली,2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली,2019"

नाम, विस्तार एवं

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली,2019 है।

(2) यह नियमावली, नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

का संशोधन

2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली,2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) में नियम 4 के उपनियम (3) में निम्नवत् परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यह कि पुराने भवनों की वर्तमान संरचना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी:-

(क) सुविधाओं के उच्चीकरण, आन्तरिक साज-सज्जा, अनुरक्षण एवं नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य।

(ख) शौचालयों के निर्माण सम्बन्धी कार्य, जिनमें दो लाख रूपये से अनधिक की धनराशि का व्यय निहित हो।"

आज्ञा से

दिलीप जावलकर
सचिव

2

संख्याः–2658 / VI(1) / 2019–03(05) / 2015

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

विषयः–पं0 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना, 2018 के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा बैंकों से ऋण लिये जाने पर बैंक के पक्ष में पंजीकृत किये जाने वाले बन्धक–विलेख पर लाभार्थी द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रभार्य–शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–193 / 2–7–129 / 2019–20, दिनांक 16 अगस्त, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना में लाभार्थियों को बैंकों द्वारा तीस लाख रूपये की ऋण सीमा तक व्यवसायिक ऋण की स्वीकृति के सापेक्ष लाभार्थी की सम्पत्ति / भूमि को बैंक के पक्ष में बन्धक रखने हेतु निष्पादित किये जाने वाले पंजीकृत बन्धक विलेख पर लाभार्थी द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रभार्य–शुल्क की पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग द्वारा सब रजिस्ट्रार, स्टाम्प (Sub Registrar, Stamps) के कार्यालय से प्रभार्य–शुल्क के रूप में धनराशि जमा किये जाने की पुष्टि किये जाने तथा बैंक द्वारा बन्धक विलेख की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त, की जायेगी।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–104–संवर्धन तथा प्रचार–25–दीनदयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना–25–लघु निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–384 / XXVII(2) / 2019, दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

2

ई–मेल : tourism2015section@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्याः– / VI(1) / 2021–03(05) / 2015 T.C. II

देहरादूनः दिनांक 01 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात :–

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2021" है। (2) यह नियमावली, नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम 6 का संशोधन	2.	दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :	
		स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		नियम–6 पूंजी संकर्म की लागत के 33 प्रतिशत या ₹ 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम	नियम–6 पूंजी संकर्म की लागत के 50 प्रतिशत या ₹ 15.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम

ACEO (Adv.)

		पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से दये होगी।	पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– 2069 (1)VI(1)/2019–03(05)/2015 T.C II, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
(4) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(8) स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(9) समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(10) निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा गजट की 500 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
(11) गार्ड फाईल।

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः-2072 / VI(1) / 2021-03(05) / 2015 T.C
देहरादूनः दिनांक 01 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात :-

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2021" है। (2) यह नियमावली, नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम 5 का संशोधन	2.	दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उप नियम (2) खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :	
		स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
		(ग) ऐसा व्यक्ति गृह आवास (होम-स्टे) के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी हो	(ग) जहां योजना कियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो, उस प्रयोजन हेतु भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिक प्रतिभूमि के रूप में बन्धक स्वरूप

			स्वीकार किया जायेगा: परन्तु यह कि, यदि भूमि स्वामी आवेदक के साथ सहऋणी अथवा जमानती के रूप में सहभागी बने तो अनुदान की राशि केवल आवेदक को देय होगी। परन्तु यह और कि, पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी, की अवधि से अधिक हो।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः- 2072 (1)VI(1)/2019-03(05)/2015 T.C, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
(4) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(8) स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(9) समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(10) निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना (अग्रेजी/हिन्दी) को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा गजट की 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
(11) गार्ड फाईल।

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No./.....Dehradun, dated 2021 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
DEPARTMENT OF TOURISM
No.2072 /VI(1)/2021-03(05)/2015 T.C
Dehradun, Dated : 01 ~~November~~ अक्टूबर, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by sub section (1) of section 20 of the Uttarakhand Tourism Development Board Act, 2001 (Act no. 12 year 2001), with a view to further amend the Deendayal Upadhyay Home Stay Development Scheme Rules, 2018 the Governor, is pleased to make the following rules, namely :-

The Deendayal Upadhyay Home Stay Development Scheme (AMENDMENT) Rules, 2021

Short title, extend and commencement	**1.**	(1) These rules may be called the "Deendayal Upadhyay, Home Stay Development Scheme (Amendment), Rules; 2021" (2) These rules shall extend to whole of Uttarakhand, except urban areas. (3) They shall come into force at once.	
Amendment of Rule 5	**2.**	In the Deen Dayal Upadhyay Home Stay Development Scheme Rules, 2018 for the existing clause (C) of Sub rule (2) of rule 5 set out in Column-1 below, the clause as set out in column 2 shell be substituted, namely :-	
		Column-1 **Existing Clause**	**column-2** **Clause as here by Substituted**

ACEO (Adv.)

		(C) Such person is the owner of the land required for the construction of a home stay	(C) Where the land is required for the implementation of the scheme for that purpose the land shall be accepted as a mortgage in the form of primary security, if the land is in the name of close relative of the applicant: Provided that if the land owner becomes a partner with the applicant as co-debtor or guarantor, then the amount of grant shall be payable to the applicant only. Provided further that, the applicant can also get the benefit of the scheme on leased land if the tenure of the lease deed is more than the tenure of the loan repayment.

By Order

(Dilip Jawalkar)
Secretary

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः– 27 /VI(1)/2022–03(05)/2015 T.C
देहरादूनः दिनांक 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात :–

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2018'' है।
   (2) यह नियमावली, नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।
   (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :

		स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		7 (1) राजकीय सहायता की मूल सब्सिडी का भुगतान उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा एकमुश्त राशि के रूप में तथा ब्याज सब्सिडी का भुगतान वार्षिक आधार पर योजना पूर्ण होने पर सम्बन्धित बैंक शाखा, जहां से आवेदक द्वारा ऋण लिया गया है, को यथासम्भव एक माह के भीतर सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित शाखा बैंक प्रबन्धक अथवा उनका प्रतिनिधि, जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है, के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना	7 (1) राजकीय सहायता की धनराशि लाभार्थी से सम्बन्धित बैंक को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सीधे ऑनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। शासन से योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण पर्यटन मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा धनराशि को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद जो कि क्रियान्वयन विभाग है, के नाम से पृथक से

		पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।	बैंक खाता खोलकर रखी जायेगी। राजकीय सहायता का भुगतान जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित शाखा बैंक प्रबन्धक अथवा उनका प्रतिनिधि जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है, के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त दी जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– 27 (1)VI(1)/2012–03(05)/2015 T.C, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्उ शासन।
(2) महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
(4) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(8) स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(9) समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(10) निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना (अग्रेजी/हिन्दी) को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा गजट की 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग–1
देहरादूनः दिनांक 06 जून, 2023

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थातः–

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास(होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास(होम–स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–1 का संशोधन

2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम (1) के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू होगी।	यह नियमावली नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

नियम–3 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के खण्ड छः के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

Generated from eOffice by JASWANT SINGH CHAUHAN, SO-JSC-TOURISM 1, SECTION OFFICER, Tourism Department on 06/06/2023 06:08 PM

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नवीन भवन निर्माण अथवा विस्तारीकरण हेतु बैंक ऋण प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाणित भवन नक्शे की आवश्यकता होगी।	योजना क्रियान्वित किये जाने वाले क्षेत्र/स्थान में भवन स्वीकृति हेतु अधिकृत संस्था/विभाग से स्वीकृत मानचित्र/नक्शा मान्य होगा।

नियम–4 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम(3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
गृह आवास (होम–स्टे) स्थापित किये जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता होगी।	किसी भूमिधर द्वारा अपनी स्वामित्व की भूमि को होमस्टे इकाई स्थापित करने हेतु गठित जिला होमस्टे चयन समिति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है तो उक्त भूमि को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) की धारा–143 के अन्तर्गत स्वतः अकृषिक से प्रख्यापित समझी जायेगी। होमस्टे चयन/क्रियान्वयन/ अनुश्रवण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:– 1.जिलाधिकारी– अध्यक्ष 2.मुख्य विकास अधिकारी–सदस्य 3.महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य 4.जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक–सदस्य 5.नाबार्ड के प्रतिनिधि –सदस्य 6.जिला पर्यटन विकास अधिकारी–सदस्य सचिव योजना अन्तर्गत आवेदक द्वारा लाभ किये जाने पर आवेदकों के लिए निम्न शर्तें प्रतिबन्धित रहेगी :– 1 . आवेदक को प्रस्तावित योजना का उपयोग दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के अन्तर्गत करना होगा। 2 . यदि आवेदन द्वारा उक्त योजना में परिवर्तन किया जाना पाया जाता है तो आवेदक के पक्ष में स्वीकृत अनुदान

Generated from eOffice by JASWANT SINGH CHAUHAN, SO-JSC-TOURISM 1, SECTION OFFICER, Tourism Department on 06/06/2023 06:08 PM

धनराशि की नियमानुसार वसूली की जायेगी तथा योजना तत्काल प्रभाव से निरस्त की जायेगी।

नियम–8 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 **एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
उद्यमियों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/ क्रियान्वयन/ अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी :–	उद्यमियों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/क्रियान्वयन/अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी :–
(एक)जिलाधिकारी– अध्यक्ष (दो) मुख्य विकास अधिकारी–सदस्य (तीन) महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य (चार) जिला अग्रणी बैक प्रबन्धक–सदस्य (पांच) नाबार्ड का प्रतिनिधि –सदस्य (छः) जिला पर्यटन विकास अधिकारी–सदस्य सचिव	(एक) जिलाधिकारी– अध्यक्ष (दो) मुख्य विकास अधिकारी–सदस्य (तीन) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य (चार) जिला अग्रणी बैक प्रबन्धक–सदस्य (पांच) नाबार्ड का प्रतिनिधि –सदस्य (छः) जिला पर्यटन विकास अधिकारी–सदस्य सचिव
यह समिति जिले में आवेदको के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्णदायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति के संबंध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को अवगत करायेगी। जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद/शासन को संदर्भित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों का भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है।	यह समिति जिले में आवेदको के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्णदायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति के संबंध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को अवगत करायेगी तथा जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद/शासन को संदर्भित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है।
क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा	क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत

Generated from eOffice by JASWANT SINGH CHAUHAN, SO-JSC-TOURISM 1, SECTION OFFICER, Tourism Department on 06/06/2023 06:08 PM

I/128071/2023

आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी, <u>नगरपालिका</u> आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

Signed by Sachin Sharadchandra Kurve
Date: 06-06-2023 16:57:12

(सचिन कुर्वे)
सचिव।

संख्याः–39619 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा गजट की 500 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 पूजा गर्ब्याल)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by JASWANT SINGH CHAUHAN, SO-JSC-TOURISM 1, SECTION OFFICER, Tourism Department on 06/06/2023 06:08 PM